

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2020 ई0 आश्विन 28, 1942 शक सम्वत्

#### भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 318/रा0स0—मल्टी/3/2020 (1) देहरादून, 20 अक्टूबर, 2020

#### अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/3/2020 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 20 अक्तूबर, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

#### सारणी

क्र, सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	उत्तर प्रदेश	10
2.	उत्तराखण्ड	01

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा:-

- (अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-
  - (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख
  - (ख)नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख

- 27 अक्तूबर, 2020 (मंगलवार)
- 28 अक्तूबर, 2020 (बुधवार)

- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख
- 02 नवम्बर, 2020 (सोमवार)
- (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, 09 नवम्बर, 2020 (सोमवार), और े.
- (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व मिर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 11 नवम्बर, 2020 (बुधवार), और
- (आ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से, सौजन्या, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

# No. 318/CS-Multi/3/2020 (1) Dated Dehradun, October 20, 2020

#### **NOTIFICATION**

No. 318/CS-Multi/3/2020(1): - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 20th October, 2020 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1)	Uttar Pradesh	10
2)	Uttarakhand	01

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election;
  - (a) the 27th October, 2020 (Tuesday), as the last date for making nominations;

- (b) the 28th October, 2020 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 02nd November, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 09th November, 2020 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 11th November, 2020 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,

Secretary to the Election Commission of India.

By Order,

SOWJANYA, Chief Electoral Officer, Uttarakhand.